राजस्थान सरकार

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर

कमांक/न्याय/कोरोना/शिक्षा/2022/90 दिनांक: 06.01.2022

–:आदेश:–

जिले में कोविड–19 के बढते संक्रमण के मामलों की रोकथाम एवं बचाव हेतु सतर्क एवं सावधान रहने की आवश्यकता है। राज्य में निरन्तर कोरोना वायरस संक्रमित मामलों की संख्या मे उत्तरोत्तर वृद्धि के मद्देनजर गृह (ग्रुप–7) विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 02.01.2022 के बिन्दु संख्या 05 एवं कमागत आदेश दिनांक 05.01.2022 के बिन्दु संख्या 02 में प्रदत्त निर्देशों की पालना तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 की धारा 33 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **संपूर्ण नगर परिषद् क्षेत्र सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी एवं नगर पालिका क्षेत्र बामनवास में संचालित समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों में कक्षा–01 से 08 तक की ऑफलाईन शिक्षण गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से दिनांक 07.01.2022 से दिनांक 16.01.2022 तक बंद किया जाता है। ऑनलाईन अध्ययन की सुविधा निरंतर संचालित की जाती रहेगी। शिक्षकगण 15 से 18 आयु वर्ग के विद्यार्थियों के वैक्सीनेशन कार्य में सहयोग करेंगें।**

यह आदेश आज दिनांक 06.01.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा से जारी किया जाता है।

(राजेन्द्र किशन)
जिला मजिस्ट्रेट,
सवाई माधोपुर
दिनांक: 06.01.2022

कमांक/न्याय/कोरोना/शिक्षा/2022/91-105

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय, भरतपुर संभाग, भरतपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, सवाई माधोपुर।
4. अति0जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर/गंगापुर सिटी
5. समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदारान जिला–सवाई माधोपुर।
6. आयुक्त नगर परिषद् सवाई माधोपुर/गंगापुर सिटी।
7. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका बामनवास।
8. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी /जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य0/प्रार0) सवाई माधोपुर
9. सहायक निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सवाई माधोपुर।
10. अति0निजी सचिव जिला कलेक्टर /निजी सहायक अति0 जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर।

जिला मजिस्ट्रेट, 6/1/22
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner